DAINIK JAGRAN, Delhi, 6.9.2018
Page No. 9, Size:(11.84)cms X (20.36)cms.

आधार न होने पर प्रवेश से मना नहीं कर सकते स्कूल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोई भी स्कूल अब आधार न होने के चलते किसी भी छात्र को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। स्कूलों में प्रवेश के दौरान आधार की बढ़ती मांग को देखते हुए यूआइडीएआइ (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार) ने इसे लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी स्कूलों से आधार के लिए जरूरी सुविधा मुहैया कराने को भी कहा गया है।

स्कूलों की ओर से यह मांग इसलिए भी बढ़ी है, क्योंकि छात्रों के लिए सरकार की ओर से चलाई रही योजनाओं के लिए आधार जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर सही लाभार्थी तक सुविधा पहुंचने की पड़ताल में आसानी होती है। यूआइडीएआइ के मुताबिक, हाल ही में आधार न होने के चलते स्कूलों की ओर से प्रवेश लेने से मना करने के कई मामले सामने आए हैं। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार का कहना है कि स्कूल ऐसे लोगों को आधार बनाने की सुविधा उपलब्ध कराए। यह उनकी जिम्मेदारी है। आधार न होने के चलते वह प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते हैं। इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी।

विवि की डिग्री पर नहीं छपेगा आधार नंबर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विश्वविद्यालयों की डिग्री और अंकपत्रों पर अब आधार नंबर नहीं छपेगा। यूजीसी ने आधार नियमों का हवाला देते हुए इसके प्रकाशन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत किसी के आधार नंबर को उजागर करना गोपनीयता का हनन मना जाता है। डिग्री और अंकपत्रों में इसको दर्ज करने से गोपनीयता भंग हो रही थी। क्योंकि यह कई लोगों की नजरों में पड़ रहा था। यूजीसी ने पिछले साल ही डिग्री और अंकपत्रों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सभी पर आधार नंबर के प्रकाशन को अनिवार्य बनाया था। विवि ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक आधार नंबर की निजता को लेकर उठे सवालों के बाद यूजीसी ने यूटर्न ले लिया है। ऐसे में यूजीसी को अब विवि की डिग्रियों और अंकपत्रों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा।